भा.कृ.अ.प.—भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली—110 012 ICAR-INDIAN AGRICULTURAL STATISTICE RESERCH INSTITUTE LIBRARY AVENUE,PUSA, NEW DELHI-110012

भारत में किसी स्थान / गृह नगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने का इरादा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेशागी स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

Application for the grant of advance to Govt. Servant intending to avail of Leave Travel Concession for any place in India/Home Town.

1	पूरा नाम (साफ अक्षरो में) / Name (in block letters)				
2	पदनाम एवं संबद्ध अनुभाग का नाम				
3	मूलवेतन / Basic Pay	रू० / Rs. कर्मचारी सं० / Emp.No	•- <u> </u>		
4	केन्द्रीय सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि/Date of first appointment in Central Govt./ICAR Services.				
5	क्या सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार से परिवीक्षा अवधि पर है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें / Whether the Govt. Servant is on probation from State Govt, If so, state the details.				
6	स्वीकृत छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि/Nature and period of leave sanctioned.				
7	भ्रमण स्थान / Place to be visited				
8	निकटतम रेल स्टेशन/Nearest Railway Station				
9	गृह नगर (निरपवाद रूप से बताया जाए)				
10	Home Town (to be indicated invariably) क्या यात्रा रियायत का पहले लाभ उठाया गया है, यदि हां तो बताएं :-	(i) ब्लॉक वर्ष / Block Year			
	Whether Travel Concession has been availed before, if so, State:-	(ii) किस वर्ष में रियायत का लाभ उठाया गर which concession availed	ग/Year in		
11	किस ब्लाक वर्ष के लिए वर्तमान पेशगी का दावा किया जा रहा है				
	The block year for which the present advance is claimed.				
12	मुख्यालय से होम टाउन/भारत दर्शन जहां जाना है, तक सबसे छोटे मार्ग द्वारा वायुयान/रेल/बस का एक तरफ का किराया				
13	क्या यात्रा परिवार के साथ की जाएगी; यदि हां तो यात्रा एवं परिवार के सदस्य	ों का ब्यौरा			
	(संबंध एवं कमानुसार उम्र, प्रस्थान एवं आगमन सहित अनंतिम तिथि) Whether journey is to be performed with family, if so, the details of journey and family members (Relationship & respective age including the tentative date of departure & Arrival.				
	नाम / Name	उम्र(वर्ष) / Age (Yr)	संबंध		
1					
2					
3					
4					
5					
6					

14	यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं एवं परिवार सहित बहिर्याता अलग से करनी हो, तो कारण एवं सटीक तिथि/तिथियां बताए कि किस दिन बाहरी यात्रा प्रारंभ की जाएंगी।/If the outward journey is to be performed separately by the family and the Govt. Servant					
	himself, state the reasons and the exact date/s on which outward journeys by each are to be commence.					
15	अपेक्षित पेशगी की रकम (ऐसी पेशगी की राशि प्रत्येक मामले में अनुमानित राशि की 9/10वीं तक सीमित होगी जिसकी सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी)					
	The amount of advance required (the amount of such advance in each case will be limited to 9/10 of the estimated amount which Govt. would have to (reimburse).					
16	वास्तविक रेल श्रेणी की सुविधा जिसमें आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्य यात्रा करना चाहते हैं / The actual railway class of accommodation in which journey are to be performed by the applicant and his/her family members.					
17	क्या स्थायी हैं या अस्थायी / यदि अस्थायी हो तो जमानती का पदनाम					
	Whether permanent or Temporary. If Temporary, state name and designation of the Surety.					
एतदद्धार से 60 वि मेरे परि से नहीं सहित स best of will be above a	अनुभाग, टेलीफोन सं0 / Telephone No					
9	मैं पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेलवे/बस टिकट रोकड—I/ऑ त करूंगा कि मैंने वास्तव में टिकट खरीदा है। I shall produce railway/bus tickets within ten days of the drawl of advance actually utilized the amount for the purchase of tickets.					
	प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता/अभिभावक पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं और मेरे साथ रह रहे हैं तथा उनकी मासिक आय रू0 3500/— से कम है। Certified that my father/mother/parent is/are wholly dependent on me, and is/are residing with me and his/their monthly income is less than Rs. 3500/					
	आवेदक के हस्ताक्षर. / Signature of th	e Applicant				
	पदनाम / Designation					

महत्वपूर्ण :- कृष्या साथ संलञ्न पृष्ठ सं.3 पर ध्यान दे तथा उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है!

महत्वपूर्ण : यदि पेशगी जाने एवं वापस आने दोनों यात्रओं के लिए ली गयी थी तथा बाद में यह पता चले कि मुख्यालय से अनुपरिथित की अविधि नब्बे दिनों की तीन माह की अविधि से अधिक होने की संभावना है तो छुट्टी यात्र रियायत पेशगी की आधी धनराशि तुरंत सरकार को लौटानी होगी।

Important: Whether an advance has been drawn for both the forward and return journey and later it becomes clear that the period of absence from Headquarter is likely to exceed three months of ninety days, one half of the LTC advance **should be refunded to Government forthwith.**

दृष्टव्यः यह सुविधा गृहनगर रियायत के बदले दो वर्ष के एक ब्लॉक के लिए दी जाती है।
This concession is in lieu of Home Town concession for one block of two years.

यदि यात्र राज्य स्वामित्व वाली बर्सो/राज्य पर्यटन वर्सो द्वारा यात्र न की गई हो तो किसी दूसरे बस का किराया स्वीकार्य नही होगा। दावा के साथ मुल बस टिकट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

No Bus Fare is admissible if the journey have not been undertaken by state owned buses/state Tourism buses. The original bus tickets are produced with the claim, compulsorily